फिल्म / टीवी धारावाहिक / वृत्त-चित्र इत्यादि बनाने के बारे में सेना से सहायता प्राप्त करने हेतु सेना मुख्यालय / रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी दिशा-निर्देश

- फिल्में/टीवी धारावाहिक/वृत्त-चित्र इत्यादि, जिनकी विषय-वस्तु सेना पर आधारित है अथवा उनको बनाने के लिए कार्मिक क्षमता, स्थान एवं उपस्करों के रूप में सेना की सहायता की आवश्यकता है, से संबंधित सभी प्रस्ताव निम्नलिखित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए:

  जनरल स्टाफ अफसर-1 (पीएम)
  आफिसर ऑफ एडीजी पी आई
  कमरा संख्या 24, भूतल,
  साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011.
  दूरभाषः 011-23018665

- प्रस्ताव के साथ अग्रेषण-पत्र होगा जिसमें उसकी तारीख़ स्पष्ट रूप से इंगित की जाए और ब्यौरा परिशिष्ट - क के रूप में दिया जाए। प्रस्ताव के साथ परिशिष्ट – ख पर दिए गए प्रारूप के अनुसार कंपनी के शीर्षनामा (लैटर हैड) पर वचनबद्धता संलग्न होगी। यह ध्यान रखा जाए कि अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- फिल्में इत्यादि बनाने के लिए सेना की सहायता, प्रार्थित सहायता की उपलब्धता और परिस्थितियों के अध्यधीन प्रदान की जाएगी।
- सेना के दैनिक प्रशिक्षण की शूटिंग की आवश्यक सुरक्षा स्वीकृति के पश्चात् ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
- सेना मुख्यालय द्वारा प्रस्तावों की सेना की छवि और सुरक्षा की दृष्टि से अथवा निर्माता द्वारा आवश्यक सहायता की उपलब्धता की दृष्टि से जांच की जाएगी।
- सेना मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माता एडीजी पी आई कार्यालय /सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए गए सैन्य प्राप्य ऑर्डर (एमआरओ) के ज़रिए संबंधित कमान, जिसमें सैन्य सहायता प्रार्थित है, के पक्ष में सेना सहायता के रूप में राशि जमा करेंगे।

- सैन्य सहायता वास्तविक रूप में प्रदान करने से पहले निर्माता द्वारा एडीजी पी आई, सेना मुख्यालय के समक्ष उपयुक्त मूल्य-वर्ग के स्टाम्प पेपर (परिशिष्ट – ग पर प्रारूप) पर करार करना और निम्नलिखित को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:
    - बीमा सुरक्षा
    - क्षतिपूर्ति बांड और उपयुक्त मूल्य-वर्ग का स्टाम्प पेपर (परिशिष्ट – घ पर प्रारूप), और
    - सुरक्षा राशि के रूप में प्रार्थित सहायता राशि के बराबर बैंक गारंटी राशि, जो फिल्म के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।
- इन औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् एडीजी पी आई का कार्यालय/सेना मुख्यालय प्राधिकरण/ संबंधित कमान को निर्माता को शूटिंग करने और अन्य संबंधित कार्यकलापों की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वीकृति पत्र जारी करेगा।
- संबंधित कमान द्वारा सेना परिसरों में कर्मीदल की मॉनीटरिंग के बारे में संपर्क अधिकारी को ब्यौरा दिया जाएगा जो शूटिंग के पूरा होने के पश्चात् निर्माता को वास्तविक रूप से प्रदान की गई वास्तविक सहायता के बारे में एडीजी पी आई के कार्यालय/सेना मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- शूटिंग के पूरा होने के पश्चात् रक्षा मंत्रालय [निदेशक/उप सचिव (जीएस-III), रक्षा मंत्रालय (वित्त/जीएस-I), निदेशक/डीएफए (जीएस)] और सेना मुख्यालय [निदेशक एडीजी (पी-आई) तथा निदेशक (एम आई -11)] के प्रतिनिधियों की पूर्वदर्शन समिति द्वारा फिल्म/वृत्त-चित्र इत्यादि का पूर्वदर्शन संचालित किया जाएगा।
- पूर्वदर्शन समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निर्माता को फिल्म/वृत्त-चित्र इत्यादि को पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करने की अनुमति प्रदान करने से पहले सेना मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव को संयुक्त सचिव(सेना) और रक्षा मंत्रालय (वित्त/जीएस-I) के अनुमोदनार्थ रक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है।
- साथ-साथ सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (जीएस-III/ए) के ज़रिए रक्षा मंत्रालय (वित्त/जीएस) से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् सेना आदेश संख्या – 12/88 में निर्धारित प्रारूप में संपर्क अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निपटान के लिए कार्रवाई करेगा।
- फिल्म इत्यादि बनाने के लिए सैन्य सहायता के बारे में कोई जानकारी अवर सचिव (जीएस-III/ए), टेलीफैक्स संख्या 011-23016131 से भी प्राप्त की जा सकती है।

00000